

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा  
जिला जोधपुर

1122

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 188/2025

प्रार्थीगण :-

1. अमीर पुत्र मोहम्मद
2. जफर पुत्र मोहम्मद
3. असरफ पुत्र मोहम्मद
4. आशी पुत्री मोहम्मद
5. इकबाल पुत्र मोहम्मद
6. कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद
7. बिरिमला पुत्री मोहम्मद
8. मेहमुदा पुत्री मोहम्मद
9. राबिया पुत्री मोहम्मद
10. सदीका पुत्री मोहम्मद जातियान मुसलमान नियासीगण ग्राम  
बंधजसवन्तसागर, पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर  
बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।  
अप्रार्थी सं. 1- सरकारी चैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 09/11/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम बंधजसवन्तसागर, पटवार हल्का पिचियाक, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 93 रकबा 3.9317 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार नये 50 व पुराने 174 है। खसरा संख्या 93 सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता/पति मोहम्मद पुत्र जमालुदीन के नाम दर्ज थी तथा प्रार्थीगण के पिता/पति मोहम्मद फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1360 द्वारा मोहम्मद के स्थान पर प्रथम बार राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 को अलग-अलग दर्शित किया गया। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीगण के हिस्सों का उल्लेख नहीं किया गया। चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश प्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम सम्मिलित कर दिया यानि प्रार्थी संख्या 1 व 2 का एक ही व्यक्ति होना बता दिया, जबकि प्रार्थी संख्या 1 व 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं, जो स्व. मोहम्मद के अलग-अलग पुत्र हैं, जो जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 के इन्द्राज से भी स्पष्ट प्रमाणित है व प्रार्थी

संख्या 1 व 2 के आधारकार्ड से भी स्पष्ट प्रमाणित है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त जमाबन्दी में एक ही व्यक्ति बताने से प्रत्येक प्रार्थीगण का सही हिस्सा 1/30 व० हिस्सा होना चाहिए था, जबकि प्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त जमाबन्दी में एक ही व्यक्ति बताने से प्रत्येक प्रार्थीगण का हिस्सा भी जो कि 1/27 व० हिस्सा दर्ज किया गया वो अशुद्ध दर्ज किया गयी प्रार्थीगण को उपरोक्त अशुद्ध इन्द्राज की जानकारी होने पर - उपरोक्त अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध किये जाने हेतु अप्रार्थी को निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु अप्रार्थी सक्षम नहीं है अपितु श्रीमान सक्षम है। इसलिए घालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में अशुद्ध इन्द्राज अमीर जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/27, बिरिमला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज अमीर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30, असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30, आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30, कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/30, बिरिमला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किये जाने से उपरोक्त खसरान की भूमि के दर्ज अन्य सहखातेदार चम्पादेवी पत्नी आशाराम, जमूदेवी पत्नी ढगलाराम, भैराराम पुत्र श्रीराम, राजुराम पुत्र आशाराम व शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक अ०फ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के हक व अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा व नहीं उनके दर्ज हक व अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए उपरोक्त दर्ज सहखातेदारों को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त खसरे की भूमि राजस्व ग्राम बंधजसवन्तसागर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रीमान को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बंधजसवन्तसागर, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 93 कलसुमबानो 3.9317 हैक्टेयर किस्म बाराणी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज अमीर जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/27, बिरिमला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27,

1/27, राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज अमीर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30, असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30, आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30, कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/30, बिरिमला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बंधजसवन्तसागर, पटवार हल्का पिचियाक, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 93 रकबा 3.9317 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में से 1/3 हिस्सा पूर्व में प्रार्थीगण के पिता/पति मोहम्मद पुत्र जमालुदीन के नाम दर्ज था तथा प्रार्थीगण के पिता/पति मोहम्मद फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1360 द्वारा मोहम्मद के स्थान पर प्रथम बार राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 को अलग-अलग दर्शित किया गया। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीगण के हिस्सों का उल्लेख नहीं किया गया। चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की खतौनी के समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम सम्मिलित कर दिया, जबकि प्रार्थी संख्या 1 व 2 अलग-अलग व्यक्ति है, जो स्व. मोहम्मद के अलग-अलग पुत्र है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 के इन्द्राज से भी स्पष्ट है व प्रार्थी संख्या 1 व 2 के आधारकार्ड से भी स्पष्ट है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त जमाबन्दी में लिपिकीय भूलवश एक ही व्यक्ति बताने से प्रत्येक प्रार्थीगण का सही हिस्सा 1/30 व० हिस्सा होना चाहिए था, जबकि प्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त जमाबन्दी में एक ही व्यक्ति बताने से प्रत्येक प्रार्थीगण का हिस्सा भी जो कि 1/27 व० हिस्सा दर्ज किया गया वो अशुद्ध दर्ज किया गया। इसलिए चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में अशुद्ध इन्द्राज अमीर जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27. असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, इकबाल पुत्रमोहम्मद हिस्सा 1/27, कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/27, बिरिमला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27, सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज अमीर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/30

कलसुमबानो पत्नी  
अधिकारी  
मामा

बिस्मिला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार किया जाना आवश्यक है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बंधजसवन्तसागर, तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा संख्या 93 रकबा 3.9317 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज अमीर जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/27 बिस्मिला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज अमीर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30, असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/30 बिस्मिला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30, सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकॉर्ड दुरुस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरुस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी संवत् 2065-2068 में खसरा नंबर 93 में खातेदार मोहम्मद के फौत होने पर नामा. सं. 1360 के जरिये खातेदार अमीर, जफर, असरफ, इकबाल पिसरान मोहम्मद, राबिया, मेहमुदा, बिस्मिला, आशी, सदीका पुत्रियां मोहम्मद, कलसुमबानों पत्नी मोहम्मद का नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हुआ। ऑनलाईन जमाबन्दी चौसाला 2073 से 2076 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 का नाम सम्मिलित कर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया जबकि प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। प्रार्थी सं. 1 के नाम के शुद्धि हेतु तहसीलदार बिलाडा द्वारा सहमति प्रदान की गई। प्रार्थी सं. 2 के नाम के शुद्धि हेतु तहसीलदार बिलाडा द्वारा सहमति प्रदान की गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बंधजसवन्तसागर तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 93 रकबा 3.9317 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज अमीर जफर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, असरफ



पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, आशी पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27  
 इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/27, कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद  
 हिस्सा 1/27 बिस्मिला पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 मेहमुदा पुत्री  
 मोहम्मद हिस्सा 1/27 राबिया पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 सदीका  
 पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/27 जातियान मुसलमान, सा देह खातेदार के  
 स्थान पर शुद्ध इन्द्राज अमीर पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 जफर पुत्र  
 मोहम्मद हिस्सा 1/30, असरफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30 आशी पुत्री  
 मोहम्मद हिस्सा 1/30 इकबाल पुत्र मोहम्मद हिस्सा 1/30  
 कलसुमबानो पत्नी मोहम्मद हिस्सा 1/30 बिस्मिला पुत्री मोहम्मद  
 हिस्सा 1/30 मेहमुदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 राबिया पुत्री  
 मोहम्मद हिस्सा 1/30, सदीका पुत्री मोहम्मद हिस्सा 1/30 जातियान  
 मुसलमान, सा देह खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार  
 बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का  
 नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।



*ned ✓*  
 (मृदुली शेखावत)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उप शहड अडिक्सी  
 बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 09/11/20 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा  
 न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



*ned ✓*  
 (मृदुली शेखावत)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उप शहड अडिक्सी  
 बिलाडा